भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1572

दिनांक 20 सितंबर, 2020 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसई द्वारा खरीद, संविदाएं और निविदाएं जारी करने में कदाचार

1572. श्री भोला सिंह:
डॉ० जयंत कुमार राय:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ० सुकान्त मजूमदार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा खरीद, संविदाएं और निविदाएं जारी करने में कदाचार की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सीपीएसई-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीपीएसई द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खरीद संबंधी प्रक्रिया को पूर्णत: डिजिटलीकृत करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रशासनिक मंत्रालयों से सीपीएसई को अलग करने, उन्हें पेशेवरों से चलाने और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की त्वरित आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीपीएसई से सेवानिवृत होने वाले वरिष्ठ अधिकारी निजी कंपनियों में लाभ के पदों पर सेवा ग्रहण कर रहे हैं जिनके साथ उनका लेन-देन था और यह चिंताजनक स्थिति है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीपीएसई के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। सीपीएसईज़ के संबंध में निविदाओं की खरीद और ठेके देने में कदाचार के संबंध में शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईज़ के सतर्कता कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग): सरकार ने जुलाई, 2011 में निर्देश जारी किए हैं कि सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों सहित अपने खरीद लेनदेन/अनुबंधों में आम तौर पर लागू सत्यनिष्ठा समझौता का प्रयोग कर सकते हैं। इन निर्देशों को सितंबर 2011 में सीपीएसईज़ में भी लागू किया गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रण में सीपीएसईज़ के संबंध में दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सत्यनिष्ठा समझौता करने की प्रथा से खरीद लेनदेन/अनुबंधों में भ्रष्टाचार का निवारण होने और सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसईज़ को दिशा-निर्देश जारी किए

हैं कि वे दिनांक 20 दिसंबर, 2011 से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी) पर और दिनांक 5 नवंबर, 2018 से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के बोर्डिंग पर निविदा जांच का अनिवार्य प्रकाशन करें।

(घ) सीपीएसईज़ को प्रचालन स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे सीपीएसईज़ के बोर्ड को पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, मानव संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार है। सीपीएसईज़ के बोर्डों में सीपीएसईज़ के पूर्णकालिक निदेशकों (सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों) की नियुक्ति सीपीएसईज़ के कार्य विवरण/प्रचालन आवश्यकताओं के अनुरूप लोक उद्यम चयन बोर्ड के निर्धारित पात्रता मानदंडों और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाती है । सीपीएसईज़ की लिस्टिंग के संबंध में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने दिनांक 17.2.2017 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों पर सीपीएसईज़ की समयबद्ध सूची बनाने के लिए तंत्र और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। डीपीई ने दिनांक 13 मार्च, 2020 को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी लिखा है कि वे अपने नियंत्रण में पात्र असूचीबद्ध सीपीएसईज़ को समय पर सूचीबद्ध करने की सुनिश्चितता हेतु दीपम के साथ समन्वय पूर्वक उचित कदम उठाएं।

(ङ) और (च): डीपीई ने दिनांक 15 मई, 2008 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक, जो कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त/त्यागपत्र दे चुके हैं, वे इस तरह के सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद किसी भी फर्म या कंपनी में सलाहकार या प्रशासनिक, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जिसके साथ कंपनी के व्यापारिक संबंध हैं, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सेवानिवृत्ति की अपनी तारीख से एक वर्ष के भीतर कोई नियुक्ति पद स्वीकार नहीं करेंगे। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मामले के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से प्राप्त अनुरोधों की जांच करेगा। सीपीएसईज़ के कामकाज में सुधार के लिए लोक उद्यम विभाग ने (i) कारपोरेट गर्वेनेंस, तथा (ii) सीपीएसई के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करके तथा सीपीएसईज़ के निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि आयोजित करके भी बोर्डों के व्यवसायीकरण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

***